भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2193

25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाना

2193. श्री तरुण विजय:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 5 मार्च, 2012 से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यही कारण 12 मार्च तक भी वैध थे जब उपरोक्त प्रतिबंध को हटा लिया गया था;

(ग) 12 मार्च, 2012 को अचानक से प्रतिबंध हटाने के क्या कारण रहे;

(घ) दोनों तिथियों के बीच कीमतें गिरने की वज़ह से अनुमानत: कितनी हानि हुई तथा व्यापारियों और किसानों के बीच यह हानि किस प्रकार बांटी गई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पुन: न हों यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क): कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह था कि कपास के निर्यात पहले ही 120 लाख गांठों के लिए निर्यात पंजीकरण के साथ सबसे अधिक 92 लाख गांठों से अधिक हो चुके थे। इसलिए यह संभावित जोखिम था कि भारत को ऊंचे मूल्यों पर कपास का आयात करना पड़ सकता है ।

(ख) तथा (ग): सरकार ने 12 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया कि (क) कपास निर्यात पर प्रतिबंध उठाया जाता है (ख) कपास निर्यात के लिए नई आर सी जारी करना अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है (ग) सभी विद्यमान आर सी संवीक्षा और पुनर्वैधीकरण हेतु डीजीएफटी को प्रस्तुत की जाएगी । सरकार ने मंत्री समूह की औपचारिक बैठक में निर्यात

पंजीकरण में कम अंत:शेष स्टाक और स्वत: परेषणों की समस्याओं पर विचार किया था । भारतीय कपास निगम को आदेश दिया गया था कि वह 10 लाख गांठों का बफर स्टाक सृजित करे, कपास सलाहकार बोर्ड को आदेश दिया गया था कि तुलन पत्र की समीक्षा करे तथा निर्यात पंजीकरणों के पुनर्वैधीकरण में स्वत: परेषण पंजीकरणों पर विचार करे।

(घ): 6 मार्च, 2012 के बाद यह स्थिति थी कि सीसीआई द्वारा गुंटूर तथा वारंगल मंडियों में एमएसपी प्रचालन करने से घरेलू कपास मूल्यों में गिरावट दिखाई दी । व्यापार मंदा था लेकिन 7 मार्च व 9 मार्च 2012 को मूल्यों में सुधार हो गया । 12 मार्च, 2012 के बाद एमएसपी मूल्यों से काफी ऊपर स्थिर बाजार स्थिति दिखाई दे रही है ।

(ङ.): सरकार की कपास निर्यात/वितरण नीति, समय पर निर्यात नीति की घोषणा, निर्यात अधिशेष का निर्धारण, पारदर्शी पंजीकरण तथा पर्याप्त अंत: शेष स्टाकों के अनुरक्षण पर आधारित है ।